जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड़
खनिज भवन, उद्योग भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005
दूरभाष 0141–5192407
Email : jmrc.pro@gmail.com

प्रेस विज्ञप्ति

जयपुर मेट्रो ने प्राप्त की एक बड़ी सफलता
चाँदपोल गेट के नीचे मेट्रो टनल का निमार्ण पूरा

01 अक्टूबर, 2015। जयपुर मेट्रो ने उच्च स्तरीय तकनीक का इस्तेमाल कर चाँदपोल गेट को सुरक्षित रखते हुए उसके नीचे मेट्रो टनल बनाने का काम पूरा कर लिया है। जयपुर मेट्रो के सीएमडी श्री निहाल चन्द गोयल ने बताया कि मेट्रो टनल निर्माण के दौरान चाँदपोल गेट की सुरक्षा के हर संभव उपाय किए गए थे, जो सफल साबित हुए हैं।

उन्होंने बताया कि पुरातत्व धरोहरों की सुरक्षा जयपुर मेट्रो की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अतः चाँदपोल गेट के नीचे टनल निर्माण कार्य के दौरान अत्यन्त सूक्ष्म मॉनिटरिंग की गई । इसकी मॉनिटरिंग JMRC व DMRC के अलावा कई स्तरों पर देश में दिल्ली व मुम्बई एवं विदेश में स्विटजरलैण्ड, दोहा, एथेन्स (ग्रीस) आदि कई जगहों पर एक साथ की गई जिसके परिणामस्वरूप इसमें किसी प्रकार की चूक नहीं रही।

उन्होंने बताया कि चाँदपोल गेट स्मारक के नीचे टनल बोरिंग मशीन (TBM) चलाने हेतु TBM मशीन की सप्लायर अमेरिकी कम्पनी रॉबिन्स के 20 एक्सपर्ट्स की टीम ने रात दिन एक कर TBM मशीन के ऑपरेशन

की बारीकियों को सम्भाला जिससे वाइब्रेशन व सेटलमेंट निर्धारित सुरक्षा सीमा के नीचे रहा।

श्री गोयल ने बताया कि 2 साल पूर्व निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही एक सर्वे करवाया था जिसमें इस भूमिगत मार्ग के दोनों तरफ स्थित सभी भवनों में विद्यमान टूटफूट का जायजा लिया गया था। इसमें चांदपोल गेट में उस समय कुल 32 दरारें दर्ज की गई थी, जिसे जेएमआरसी की वेबसाइट पर भी उसी समय डाल दिया गया था।

चाँदपोल गेट टनल निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जयपुर मेट्रो के मुम्बई से आए हेरिटेज एक्सपर्ट शशान्क मण्डेल ने चाँदपोल गेट और उससे लगते हुए हनुमान मंदिर परिसर का गहनता से निरीक्षण कर बताया है कि सभी संरचनाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं और सबसे सुरक्षित तरीके से मेट्रो टनल का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। टनल बोरिंग मशीन के कारण अभी तक कोई नई दरार उत्पन्न नहीं हुई हैं। परन्तु आगामी कुछ दिनों तक चाँदपोल गेट की निगरानी जारी रखी जाएगी, जिससे कि किसी प्रकार सेटलमेन्ट के कारण यदि कोई मामूली क्रेक आदि उजागर हो तो उसे तत्काल ठीक किया जा सके।

आज राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान चांदपोल गेट को नुकसान पहुंचाने संबंधी एक याचिका पर सुनवाई की जिसमें जयपुर मेट्रो के अधिवक्ताओं और विशेषज्ञों ने हाईकोर्ट को जयपुर मेट्रो द्वारा किए जा रहे सुरक्षा उपायों से अवगत कराया।

याचिका पर सुनवाई के दौरान जयपुर मेट्रो की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद, अतिरिक्त महाधिवक्ता एवं पैनल एडवोकेट श्री सन्दीप पाठक ने अदालत को बताया कि जयपुर टीबीएम मशीन टनल बनाते हुए चांदपोल

गेट को पार कर चुकी है और चांदपोल गेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।

उन्होंने बताया कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आधुनिकतम उपकरणों से पूरे मेट्रो प्रोजेक्ट की उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग की जा रही है। माननीय हाई कोर्ट ने जयपुर मेट्रो प्रशासन को सावधानी बरतते हुए प्रोजेक्ट कार्य जारी रखने एवं चांदपोल गेट में पूर्व से विद्यमान सभी 32 दरारों एवं और भी कोई टूट–फूट हुई हो तो उसकी यथाशीघ्र मरम्मत कराने बाबत निर्देश दिये।

जनसंपर्क अधिकारी